झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची।

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/112/2016–12/22-23 प्र. (?) /राँची, दिनांकः– 22.06.2022

प्रेषक:

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय :– लतरातु जलाशय योजना के बाँयी मुख्य नहर के **Service and emergency gate** के संचालन हेतु कराये जाने वाले **emergent** (अत्यावश्यक) कार्य हेतु रू० 9.545 लाख (रूपये नौ लाख चौवन हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. लतरातु जलाशय योजना के बाँयी मुख्य नहर के Service and emergency gate के संचालन हेतु कराये जाने वाले emergent (अत्यावश्यक) कार्य हेतु रू० 9.545 लाख (रूपये नौ लाख चौवन हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. लतरातु जलाशय योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य :–
   i. Intake well के Emergency Gate and Service gate को पूर्णत बंद करने के बाद भी हो रहे रिसाव को बंद करने हेतु मरम्मति कार्य।
3. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची होंगे।
4. मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–78–पूर्ण एवं चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुर्नस्थापन एवं ई०आर०एम० कार्य (विपत्र कोड 49-S-4701-80-796-78-00-05-45) के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. वर्ष 2022–23 के बजट में पूर्ण एवं चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुर्नस्थापन एवं ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है। शीर्ष 49–S–4701–80–796–78–00–05–45 में रू० 11478.00 लाख
6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।
7. राशि की निकासी कोषागार डोरण्डा से की जायेगी।
8. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
9. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्ण करा लिया जायेगा।

E:\Node-4\A.Sankar\Sanlekh\Latratu-01-06-2022\Latratu.docx

10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. योजना हेतु पूर्व से स्वीकृत संरचनाओं में किसी प्रकार का परिवर्त्तन किये जाने के पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ली जाएगी।

12. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।

14. कार्य के निविदा निस्तारण के क्रम में विभागीय पत्रांक–3112, दिनांक–14.06.2019 की कंडिका–6.11 में निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

22/06/22

(प्रशांत कुमार)

सचिव

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / प्र०स्वी० / 112 / 2016–12/22-23 प्र.स्वी./ राँची, दिनांकः–22.06.2022

प्रतिलिपिः–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ / योजना एवं विकास विभाग, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

22/06/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / प्र०स्वी० / 112 / 2016–12/22-23 प्र.स्वी./ राँची, दिनांकः–22.06.2022

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

22/06/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / प्र०स्वी० / 112 / 2016–12/22-23 प्र.स्वी./ राँची, दिनांकः–22.06.2022

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–I/II, जल संसाधन विभाग, राँची / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता (यॉंत्रिक) सिंचाई यॉंत्रिक अंचल, राँची / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, राँची को स्वीकृत्यादेश Online

upload करने हेतु/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3 राँची, कार्यपालक अभियंता, यॉत्रिक प्रमंडल, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

22/06/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/112/2016–12/22-23 ध.व्य./राँची, दिनांकः–22.06.2022

प्रतिलिपिः– आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

22/06/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/112/2016–12/22-23 ध.व्य./राँची, दिनांकः–22.06.2022

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

22/06/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)